न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/टीए/705/2004/बून्दी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केशोरायपाटन जिला बून्दी
प्रार्थी

बनाम

सूरजमल वल्द बजरंगलाल महाजन मृतक के वारिसान
1 जगदीश पुत्र सूरजमल
2 रेणुल पुत्री सूरजमल
3 वीणा पुत्री सूरजमल
4 किशनकवंर बेवा सूरजमल सभी जाति महाजन निवासी बून्दी
अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक।
श्री अशोक अग्रवाल वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 10.1.2020

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 9/2000 में पारित निर्णय दिनांक 10.7.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राधिक1त अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, केशोरायपाटन ने असेसी सूरजमल पुत्र बजरंगलाल के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार असेसी के खाते में ग्राम चितावा की 174 बीघा 7 बिस्वा, ग्राम गुडला की 77 बीघा 11 बिस्वा, लेसरदा की 49 बीघा 5 बिस्वा कुल 300 बीघा 3 बिस्वा निर्धारित तिथि 1.4.64 को असेसी के धारण में होने बताया गया। प्राधिकृत अधिकारी ने विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी के पास 54.80 स्टे0 एकड अर्थात 186 बीघा 6 बिस्वा भूमि होना तथा

पैतृक सम्पति होना एवं असेसी सूरजमल का पुत्र जगदीश निर्धारित तिथि को बालिग होने से असेसी दो यूनिट के बराबर भूमि धारण करने का मानकर सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने से निर्णय दिनांक 11.2.94 से कार्यवाही समाप्त कर दी। राज्य सरकार ने इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने निर्णय दिनांक 10.7.2000 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर राज्य पक्ष ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दिनांक 25.2.58 को असेसी के खातेदारी में 300.03 बीघा भूमि थी। इसमें से 22.06 बीघा भूमि का हस्तान्तरण दिनांक 20. 9.63 को किया गया जिसे सदभावी होना साबित नहीं कराया गया है। उक्त भूमि का बंटवारा सीलिंग कार्यवाही को विफल करने के उद्धेश्य से किया गया था जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती। असेसी सूरजमल के पुत्र को पृथक इकाई मानने में भूल की गई है। सूरजमल का पुत्र जगदीश अपने पिता पर आश्रित है जिससे उसे पृथक इकाई नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने बालिग होना मानकर निर्णय करने में भूल की है। विवादित आराजीयात चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में होकर प्रथम ग्रुप में स्थित है। जिससे स्टे0 एकड की गणना चम्बल कमाण्ड क्षेत्र को ध्यान में रखकर करनी चाहिये थी। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी के खाते में केवल 186 बीघा भूमि थी। सम्पूर्ण आराजीयात पैतृक सम्पति होकर पिता बजरंगलाल से प्राप्त हुई हैं। जिसमें माता एवं असेसी के पुत्र जगदीश कोपार्सनर होने से बराबर के हिस्सेदार हैं। उक्त आराजीयात में से 22 बीघा भूमि दिनांक 20.9.63 को पंजीकृत विक्रय पत्र से किया गया है जो धारा 30डीडी के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने योग्य है। दिनांक 31.7.64 को उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय के अनुसार विभाजन किया जाकर ग्राम चितावा की 48 बीघा 2 बिस्वा व ग्राम गुडला की 44 बीघा माता रामकुंवरी बाई के हिस्से में आई। माता रामकुवंरी बाई के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही चली एवं 4.75 स्टे0 एकड भूमि सीलिग सीमा से अधिक मानते हुए उपखण्ड अधिकारी, बून्दी ने निर्णय दिनांक 6.9.75 से अधिग्रहण करने का आदेश दिया। माता रामकुंवरी बाई द्वारा धारित भूमि को अब सूरजमल की भूमि के साथ नहीं जोडा जा सकता। विवादित आराजीयात पैतृक होने से सूरजमल का पुत्र जगदीश जन्म से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। जगदीश निर्धारित तिथि को 19 वर्ष होकर बालिग था तथा पैतृक सम्पति में प्राप्त हिस्से पर आश्रित है जिससे उसे अलग

इकाई मानी जावेगी। वैसे भी पैतृक सम्पति में पुत्र बराबर का हक व हिस्सा रखता है। जिससे सूरजमल असेसी के धारण की 186 बीघा भूमि में उसका पुत्र जगदीश आधा हिस्सा रखने का अधिकारी है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तृत विवेचन कर समवर्ती निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्राधिकृत अधिकारी ने असेसी के धारण में निर्धारित तिथि को 300 बीघा 3 बिस्वा भूमि होने की तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच कर यह मानते हुए कि तीनों गांवों की विवादित आराजीयात पैतृक हैं एवं सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय दिनांक 31.7.64 से 48 बीघा 2 बिस्वा ग्राम चितावा की एवं 44 बीघा 9 बिस्वा ग्राम गुडला की माता रामकुंवरी बाई को बंटवारा में दी गई है। रामकुंवरी बाई के विरूद्व पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही चली एवं निर्णय दिनांक 6.9.75 से 4.75 स्टे. एकड भूमि अधिग्रहित की गई है। विवादित आराजीयात सूरजमल के पिता बजरंगलाल से सूरजमल को प्राप्त हुई है जिससे यह पैतृक सम्पति है एवं पैतृक सम्पति में सूरजमल का पुत्र जगदीश जो कि निर्धारित तिथि को 19 साल का था बराबर का हिस्सा रखता है। जिससे असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर कार्यवाही समाप्त कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज की है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह भली भांति साबित है कि विवादित आराजीयात असेसी सूरजमल के पिता बजरंगलाल के खातेदारी की थी एवं उसकी मृत्यु के बाद सूरजमल के खातेदारी में दर्ज हुई है। अतः विवादित आराजीयात निर्विवाद रूप से पैतृक सम्पति हैं। उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.64 के द्वारा विवादित आराजीयात का विभाजन किया जाकर ग्राम चितावा की 48 बीघा 2 बिस्वा एवं ग्राम गुडला की 44 बीघा 9 बिस्वा भूमि रामकुंवरी बाई के हिस्से में दी गई हैं। यह हस्तान्तरण विधिक है एवं मान्यता दिये जाने योग्य है। रामकुंवरी बाई के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही चली एवं निर्णय दिनांक 6.9. 75 से 4.75 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहित की जाने का आदेश दिया गया। इस प्रकार माता रामकुंवरी बाई द्वारा धारित भूमि को असेसी सूरजमल की भूमि के साथ नहीं जोडा जा सकता।

8. विवादित आराजीयात में से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.9.63 से 22 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है। यह बेचान पंजीकृत विकय्र पत्र से किया गया है तथा दिनांक 31.12.69 से पूर्व का है जिससे सदभावी होने से मान्यता दिये जाने योग्य है।

9. उक्त हस्तान्तरण के पश्चात असेसी सूरजमल के पास निर्धारित तिथि को 186 बीघा 6 बिस्वा भूमि रहती है। चूंकि विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पति में पौत्र का समान हक व हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में उक्त 186 बीघा भूमि में सूरजमल के पुत्र जगदीश का बराबर का हक व हिस्सा बनता है। जिससे जगदीश 93 बीधा भूमि रखने का अधिकारी है। यह भी स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि को जगदीश 19 वर्ष का था। पुराने सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार पिता पर आश्रित व्यक्ति को परिवार का सदस्य माना जावेगा। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि जगदीश को उसके हिस्से में प्राप्त आराजी की आय पर आश्रित माना जावेगा क्योंकि उसके हिस्से से प्राप्त भूमि की आय से उसका गुजर बसर हो सकता है। जिससे उसे पिता पर आश्रित नहीं माना जा सकता। ऐसा सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के विभिन्न निर्णयज विधि में प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जगदीश को उसके पिता सूरजमल पर आश्रित नहीं मानकर उसे बराबर भूमि रखने का अधिकारी मानने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। जिससे हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 10.7.2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य